

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/3090

दिनांक: 27.2.19

-आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री मनोज कुमार चौहान	कनिष्ठ सहायक	आसीन्द	एपीओ निदेशालय
2	श्री पवन कुमार शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	मेडतासिटी (स्थानान्तरणाधीन)	किशनगढ़(अज0)
3	श्री रामवतार वर्मा	कनिष्ठ लिपिक	परबतसर	किशनगढ़(अज0)
4	श्रीमती अनीता देवी मीना	फायरमैन	राजगढ़(अलवर)	दौसा
5	श्री धीरुसिंह गुर्जर	फायरमैन	राजसमंद	बांदीकुई
6	श्री सुनिल कुमार मीणा	फायरमैन	टोंक	बगरू
7	श्री सुनिल कुमार	फायरमैन	जयपुर	बहरोड
8	श्री धमेन्द्र कुमार यादव	फायरमैन	जयपुर	शाहपुरा(जयपुर)
9	श्रीमती पूजा देवी/विष्णु	सफाई कर्मचारी	बिलाडा	मेडतासिटी
10	श्रीमति मंजू	सफाई कर्मचारी	सिरोही	जोधपुर
11	श्री नितेष कुमार	सफाई कर्मचारी	बाडमेर	रानीखुर्द
12	श्री लखपत	सफाई कर्मचारी	जोधपुर	जयपुर
13	श्रीमति उमा	सफाई कर्मचारी	शिवगंज	पाली
14	श्री मुकेश	सफाई कर्मचारी	जोधपुर	जैसलमेर
15	श्री लेखराज	सफाई कर्मचारी	बाडमेर	बालोतरा
16	श्री कानाराम	सफाई कर्मचारी	सांचौर	बालोतरा
18	श्री श्यामलाल	सफाई कर्मचारी	सांचौर	बालोतरा

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
- यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
- यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।
- वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावें।

SJ—
(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(ग)()का / एसएमई / डीएलबी / 19 / ३०९।—३१८८

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर
4. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
5. महापौर/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
6. संबंधित कर्मचारी श्री।
7. सुरक्षित पत्रावली।

दिनांक : २७.२.१९

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)